


Children Parks

कार्यालय:- नगर पालिका परिषद, लोनी जनपद- गाजियाबाद

प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है, एस0एल0एफ0 द्वारा विकसित वेद विहार कालोनी का दिनांक 06/06/2011 को नगरपालिका परिषद, लोनी को स्थानान्तरण किया गया जिसमे 27 पार्क सम्मिलित थे जिनमे से ब्लॉक सी के एक पार्क को अमृत सुधारों के अन्तर्गत 2015-16 मे नवयुग चिलड्रन पार्क के रूप मे घोषित किया गया है, जो कि मे वार्ड नं0-12 मे है। जिसका क्षेत्रफल - 670 वर्गमीटर है। इसका रख-रखाव निकाय द्वारा किया जा रहा है, इस से सम्बन्धित अभिलेख एवं सूचना की प्रतिलिपि संलग्न है।


अधिसूची अधिकारी
नगर पालिका परिषद, लोनी
(गाजियाबाद)

कार्यालय:- नगरपालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

पत्रांक संख्या- 27 /न0पा0प0/स्थानान्तरण/2010-11

दिनांक:- 06 -06-2011

स्थानान्तरण-पत्र

अनुसचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या- सीएम-373/आठ-1-9-48जी0डी0ए0/08 आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-1 लखनऊ के दिनांक 15-02-2009 जो उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद को सम्बोधित के द्वारा यह निर्देशित किया गया था कि गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद द्वारा स्वीकृत वेद विहार कालोनी में अनुरक्षण शुल्क वसूल किये जाने तथा अपने स्तर से नगर आयुक्त के साथ बैठक कर प्रश्नगत कालोनी को नगर निगम को स्थानान्तरित करने की कार्यवाही प्राथमिकता पर करते हुये कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करे, इसी क्रम में उपाध्यक्ष, गाजियाबाद विकास प्राधिकरण, गाजियाबाद के कार्यालय पत्र संख्या- 322(1)/एम0पी0/09 दिनांक 23-03-2009 के निर्देशों के क्रम में प्रथम पक्ष पार्टनर सदगुरु लैण्ड फाईनेन्स, 898, जोशी लेन, करोलबाग नई दिल्ली 110005 से द्वितीय पक्ष अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष नगरपालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद) एस0एल0एफ0, वेद विहार कालोनी निम्न सडके आदि सामग्री प्राप्त करती है। जिनका विवरण निम्न से है:-

1- पक्की सडके :-

- 1- 18 मीटर चौड़ी डामर सडक की कुल लम्बाई 2574 मीटर।
- 2- 12 मीटर चौड़ी डामर सडक की कुल लम्बाई 738 मीटर।
- 3- 9 मीटर चौड़ी डामर सडक की कुल लम्बाई 4011 मीटर।
- 4- 6 मीटर चौड़ी डामर सडक की कुल लम्बाई 490 मीटर।

2- नाली:-

- 1- वर्षा निकासी की नालियों की कुल लम्बाई 10385 मीटर है।

3- पार्क:-

- 1- ए ब्लॉक पार्क- 7
 - 2- बी ब्लॉक पार्क- 3
 - 3- सी ब्लॉक पार्क- 4
 - 4- ई ब्लॉक पार्क- 4
 - 5- एफ ब्लॉक पार्क- 9
- कुल पार्को - 27

4- ओवर हैड टैंक:- 01

5- नलकूप की संख्या- 02

6- सीवर लाईन:-

- 1- 18 मीटर चौड़ी सडक पर सीवर लाईन की लम्बाई 2574 मीटर।
- 2- 12 मीटर चौड़ी सडक पर सीवर लाईन की लम्बाई 736 मीटर।
- 3- 9 मीटर चौड़ी सडक पर सीवर लाईन की लम्बाई 4011 मीटर।
- 4- 6 मीटर चौड़ी सडक पर सीवर लाईन की लम्बाई 490 मीटर।
- 5- सीवरेज पम्प रूम सी ब्लाक।

कुल सीवर लाईन की लम्बाई - 7811 मीटर।

7- सीवरेज निस्तारण के लिए व वर्षा के पानी की निकासी के लिए 1.30 एकड़ की भूमि सीवरेज टैंक।

8- विद्युत कनेक्शन- एक विद्युत कनेक्शन नं0 543612 बिजली बोर्ड से वेद विहार की स्ट्रीट लाइटों के लिए लगाया गया है।

9- स्ट्रीट लाइटों की संख्या-

ब्लाक	मरकरी	साधारण	कुल बल्बों की संख्या
ए	15	15	30
बी	12	8	20
सी	15	7	22
डी	18	17	35
ई	5	7	12
एफ	7	8	15

10- सडकों के किनारे व पार्कों में जगह-जगह वृक्षारोपण की स्थिति:-

ब्लाक	वृक्षों की संख्या
ए	52
बी	32
सी	21
डी	38
ई	20
एफ	25

for Sadguru Land Finance

[Signature]
Partner

सदगुरु लैण्ड फाइनेन्स
898, जोशी लेन करोलबाग
नई दिल्ली 110005
प्रथम पक्ष

[Signature]
अधिसासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, लोनी
(गाजियाबाद)
द्वितीय पक्ष

[Signature]
अध्यक्ष
नगरपालिका परिषद, लोनी
(गाजियाबाद)
द्वितीय पक्ष

कार्यालय:- नगरपालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

वित्तिय वर्ष - 2015-2016

1-कार्य का नाम/क्य की गई सामग्री- 198
247 वां 35 मौं बलराम नगर ब्लॉक सं. पार्क
का सौन्दर्यकरण ।

2-निर्माण एजेन्सी का नाम --- श्री रिचुपालसिंह हेमदार

3-मद का नाम --- अवस्थापना विकास निधि/रा0वि0आ0/13 वां0वि0आ0/निकाय कोष/नया सवेरा---

4-अनुमानित व्यय --- 500000-00

5-टैन्डर/स्वीकृत राशि एवं दिनांक:- 0.01% कम दर पर 4,99,950-00

6-कार्यावधि --- 06 माह

7-कार्य का माध्यम - टैन्डर/ सीधे आंवटन द्वारा --- टैन्डर

8-भुगतान का विवरण -----

क्र0 सं0	बिल की राशि	कटौती						टेकेदार को भुगतान	भुगतान की दिनांक:	अभियुक्ति
		आयकर	वा0 कर	रायल्टी	सेसकर	जमानत	अन्य			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	5,04,910	5,049	20,196	10,786	5,049	40000	—	4,23,830	02-11-15	
2										
3										
4										
योग	5,04,910	5,049	20,196	10,786	5,049	40000	—	4,23,830		

09-कार्य की प्रारम्भ दिनांक: --- 10-03-15

10-कार्य की समाप्त दिनांक: --- 10-04-15

11-कार्य की प्रकृति (मरम्मत/नवनिर्माण/सुधार)--- नवनिर्माण

12-भौतिक विवरण :---

1- आगणन में कार्य की मात्रा -----

2- वास्तविक मात्रा -----

13-स्टाम्प की राशि --- 100.00 H.C.

14-अन्य विवरण --- x



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

BW 687496



अनुबन्ध - पत्र ::

जिलाधिकारी, नगरपालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद) द्वितीय पक्ष ।

प्रथम पक्ष ।

वैकल्पिक यह है कि प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से 192/217

निर्माण करने का ठेका पूर्वानुमान अंकन- रु0.50... से स्टीमेट रेट / 01 % कम/अधिक दर पर लिया है, स्वीकृत धनराशि अंकन- रु0.44,952... है।

दोनों पक्ष निर्माता नियमों के पालन रहेगे :-

- 01- प्रथम पक्ष उपरोक्त निर्माण कार्य अनुबन्ध पत्र दायित्व करने के टेन्डर के समय दिये गये समय के पूर्वानुमान के अनुसार पूर्ण करेगा, यदि प्रथम पक्ष किसी दैविक कारण के कारण निर्माण कार्य दिये गये समय में पूर्ण ना कर सके तो द्वितीय पक्ष कार्य की उन्नति बढा सकता है।
- 02- प्रथम पक्ष को उक्त कार्य के बीच में अवर अभियन्ता द्वारा तैयार किये गये बिल की औपचारिकताये पूर्ण करने के उपरान्त 90 % भुगतान किया जाता रहेगा ।
- 03- द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा, कि वह उपरोक्त कार्य में स्थल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए किसी मद को काट सकता है, या कोई नया मद जोड सकता है, यदि इसने कोई मद ऐसा होगा, जिसकी दर टेन्डर में स्वीकृत ना की गई हो, तो उसका भुगतान लो0नि0रि0 के शैडयूल की दर से किया जायेगा, जिसमें टेन्डर की दर कम या अधिक जैसी भी हो, ठेकेदार को दी जायेगी ।
- 04- पक्ष पक्ष की जमानत की राशि जिसका विवरण निम्न प्रकार से है :-
 अ- टेन्डर के साथ 2 % की दर से जमा एफ0डी0आर0 का नम्बर एवं धनराशि
 ब- इकरारनामे के साथ 8 % की दर से जमा एफ0डी0आर0 का नम्बर एवं धनराशि
 अन्तिम बिल के भुगतान के छः माह के बाद वापिस की जायेगी, द्वितीय पक्ष चाहे तो छः माह से पूर्व/बाद भी दिनोंकः निर्धारित कर सकता है।
- 05- यदि निर्माण कार्य शासकीय अनुदान का है, तो उाका भुगतान जहाँ नियमों के अधीन किया जायेगा, जिनको शासन से (शासकीय आदेशों में) अंकित किया है।
- 06- यदि कोई ऐसी धनराशि जिसे शासन ने टेन्डर के बिल से काटने के निर्देश दिये हो, या पहले आदेश हो, उसकी कटौती बिल से की जायेगी, तथा उसकी राशियन्धित विभाग के खाते मे जमा करके सुचना/प्रति प्रथम पक्ष को दी जायेगी, यदि कटौती की धनराशि पर सम्बन्धित विभाग कोई आपत्ति करके ओर धनराशि बतायेगा, तो उसकी वसूली प्रथम पक्ष से की जायेगी ।
- 07- कार्य के समय अथवा कार्य के पश्चात जॉच/सत्यापन, (भौतिक/तकनीकी) अथवा सम्परीक्षा में कोई भी वसूली की राशि निकलती है, तो उसका भुगतान प्रथम पक्ष द्वारा किया जायेगा।
- 08- यदि उपरोक्त निर्माण कार्य के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में कोई विवाद होगा, तो उसका निर्णय जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद करेंगे जो दोनों पक्षों को मान्य होगा।
- 09- यदि प्रथम पक्ष ने अनुबन्ध से पूर्व जमानत राशि जमा नहीं की है, तो द्वितीय पक्ष चालू बिलों से काटने पर विचार कर सकता है।
- 10- उपरोक्त के अतिरिक्त टेन्डर फार्म पर अंकित शर्तें भी दोनों पक्षों को मान्य होगी ।

अतः यह अनुबन्ध पत्र अंकित कर दिया गया है, ताकि सनद रहे ओर आवश्यकता पडने पर काम आते ।

दिनांक: - 2015

प्रथम पक्ष

द्वितीय पक्ष

अधिसासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद लोनी,
(गाजियाबाद)

ATTESTED
R.K. Sampson
Notary/Advocate Ghaziabad
11-2-12

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है। मौ० में 198/247 वाड नं०
.35... का कार्य के द्वारा कराया
गया / कराया जा रहा है। निर्माण कार्य स्थल पर सन्तोष जनक है।
मौके का निरीक्षण मेरे द्वारा कर लिया गया है।

रेखा समाप्त
वाड नं० 35 सभासद
नगर पालिका परिषद
लोनी (गा०बाद)
सभासद
वाड संख्या- 35
नगर पालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद

कार्यालय:- नगरपालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

पत्रांक: 1783/नपा0प0/अमृत योजना/रा0वि0आ0-निकाय कोष(03)/कार्यदिश/2017-2018 दिनांक: 15-01-2018

मैं0 आर0पी0जी0 कन्सु0 कम्पनी
पता - डी0-42, बलरामनगर, लोनी
गाजियाबाद

विषय:- निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि निम्न निर्माण कार्य के लिये पूर्व में डाली गई निविदायें न्यूनतम होने के कारण निदेशक/राज्य मिशन निदेशक (अमृत) नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, 8 वॉ तल, इन्दिरा भवन लखनऊ द्वारा निम्न प्रकार से आपके पक्ष में स्वीकृत की गई है, आप तत् अवशेष जमानत राशि की एफ0डी0आर0 एवं निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करें, आपको निम्न निर्माण कार्य निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों पर कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-

- 1- निर्माण कार्य अनुमानित व्यय के साथ साईड प्लान के अनुसार किया जायेगा ।
- 2- निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार होगी, यदि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो ठेकेदार से कमी के आंगणन की वसूली के साथ-2 सुसंगत धाराओं के अर्न्तगत दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी ।
- 3- निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा ।
- 4- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अवर अभियन्ता के माध्यम से निकाय को लिखकर देना होगा ।
- 5- निर्माण कार्य निकाय के अवर अभियन्ता/लोक निर्माण लिपिक/सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0-2, गाजियाबाद, की देख-रेख में होगा ।
- 6- कृपया आप यह भी सुनिश्चित करलें, कि निकट भविष्य में परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण इकाई (प्रथम) उ0 प्र0 जलनिगम, आर-1 नया रेलवे स्टेशन गाजियाबाद, के सामने द्वारा यू आई डी एस एस एम टी के अर्न्तगत सीवर/पेयजल की पाइप लाइन का डाला जाना प्रस्तावित तो नहीं है, ताकि निर्माण कार्य का कम से कम एक वर्ष तक निर्माण सुरक्षित रह सके । यदि निर्माण कार्य के पश्चात सीवर/पेयजल की लाइन से निर्माण क्षतिग्रस्त होती है, तो पूर्णतया जिम्मेदारी आपकी होगी । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से लिखित में सूचना प्राप्त करलें ।
- 7- निर्माण कार्य का बोर्ड निर्माण स्थल पर लगाना अति आवश्यक होगा, जिसमें उसका सभी पूर्ण ब्यौरा अंकित होगा ।
- 8- प्रशानगत योजनान्तर्गत पूर्व में एवं भविष्य में सचिव, उ0प्र0शासन, नगर विकास विभाग, लखनऊ/निदेशक/राज्य मिशन निदेशक (अमृत) नगरीय निकाय, निदेशालय, उ0प्र0, 8 वॉ तल, इन्दिरा भवन लखनऊ द्वारा समय-2 पर निर्गत निर्देशों का पालन करना होगा
- 9- प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ के पत्र सं0 24 वीआईपी(1)/नौ-5-2017-120 बजट/2013 दिनांक: 24-08-2107 के निर्देशानुसार -(2) योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाली सड़क को निर्माण होने के पश्चात 5 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित कन्ट्रैक्टर की होगी यह शर्त टैन्डर में स्पष्ट अंकित की जायेगी । परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफॉमेन्स गारन्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी, का पालन ठेकेदार/फर्म को प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।)

10- ठेकेदार को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व और कार्य पूर्ण होने के उपरान्त के फोटो प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे ।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत आगणन राशि	स्वीकृत दर	स्वीकृत राशि	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6
01	नगरपालिका परिषद, लोनी के लालबाग कालोनी के बी0 ब्लाक के पार्क का सौन्दर्यकरण का कार्य ।	डी.पी.आर./ए.स.ओ.आर. के अनुसार 26,17,000-00 औ. एण्ड एम.के अनुसार 01,09,000-00	0.20% कम दर पर	26,12,000-00 01,08,000-00	06 माह

प्रतिलिपि:-

- 1- अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0-2, गाजियाबाद, को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 2- अवर अभियन्ता (श्रीम. डी. वि. शर्मा)/लोक निर्माण लिपिक, न0 पा0 प0 लोनी को इस निर्देश के साथ, कि कार्य की गुणवत्ता, मानक के अनुरूप एवं बोर्ड की बैठक दिनांक: 26-09-2016 में दिये गये निर्देशानुसार निर्माण कार्य को अपनी देख-रेख में कराना सुनिश्चित करें, तथा प्रगति की रिपोर्ट प्रति सप्ताह अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने के साथ-2 ठेकेदार को आवश्यकतानुसार अपने स्तर से भी नोटिस आदि जारी करने की कार्यवाही करें, क्र0सं0 9 का विशेष ध्यान रखा जाये, निर्माण कार्य की साईड के फोटो के बिना बिल प्रस्तुत नहीं किया जाये ।

अवर अभियन्ता
पालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद

(डा0 वि. शर्मा)
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद

कार्यालय:- नगरपालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

पत्रांक: 1704/नपा0प0/अमृत योजना/रा0वि0आ0-निकाय कोष(03)/कायदेश/2017-2018 दिनांक: 15-01-2018

मै0 त्यागी डवलपर्स प्रा0लि0

पता - ग्रा0-सिगोली तगा तहसील-खेकडा (हाल पता-बी-5/127, भगीरथी विहार फैंस-2, दिल्ली)

बागपत

विषय:- निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि निम्न निर्माण कार्य के लिये पूर्व में डाली गई निविदायें न्यूनतम होने के कारण निदेशक/राज्य मिशन निदेशक (अमृत) नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, 8 वीं तल, इन्दिरा भवन लखनऊ द्वारा निम्न प्रकार से आपके पक्ष में स्वीकृत की गई है, आप तत्काल अवशेष जमानत राशि की एक0डी0आर0 एवं निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करें, आपको निम्न निर्माण कार्य निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों पर कार्य प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-----

- 1- निर्माण कार्य अनुमानित व्यय के साथ साईड प्लान के अनुसार किया जायेगा ।
- 2- निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार होगी, यदि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो ठेकेदार से कमी के आंगणन की वसूली के साथ-2 सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी ।
- 3- निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा ।
- 4- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अवर अभियन्ता के माध्यम से निकाय को लिखकर देना होगा ।
- 5- निर्माण कार्य निकाय के अवर अभियन्ता/लोक निर्माण लिपिक/सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0-2, गाजियाबाद, की देख-रेख में होगा ।
- 6- कृपया आप यह भी सुनिश्चित कर लें, कि निकट भविष्य में परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण ईकाई (प्रथम) उ0 प्र0 जलनिगम, आर-1 नया रेलवे स्टेशन गाजियाबाद, के सामने द्वारा यू आई डी एस एम टी के अन्तर्गत सीवर/पेयजल की पाइप लाइन का डाला जाना प्रस्तावित तो नहीं है, ताकि निर्माण कार्य का कम से कम एक वर्ष तक निर्माण सुरक्षित रह सके । यदि निर्माण कार्य के पश्चात सीवर/पेयजल की लाइन से निर्माण क्षतिग्रस्त होती है, तो पूर्णतया जिम्मेदारी आपकी होगी । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से लिखित में सूचना प्राप्त कर लें ।
- 7- निर्माण कार्य का बोर्ड निर्माण स्थल पर लगाना अति आवश्यक होगा, जिसमें उसका सभी पूर्ण ब्यौरा अंकित होगा ।
- 8- प्रशनगत योजनान्तर्गत पूर्व में एवं भविष्य में सचिव, उ0प्र0शासन, नगर विकास विभाग, लखनऊ/निदेशक/राज्य मिशन निदेशक (अमृत) नगरीय निकाय, निदेशालय, उ0प्र0, 8 वीं तल, इन्दिरा भवन लखनऊ द्वारा समय-2 पर निर्गत निर्देशों का पालन करना होगा ।
- 9- प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ के पत्र सं0 24 वीआईपी(1)/नौ-5-2017-120 बजट/2013 दिनांक: 24-08-2107 के निर्देशानुसार -(2) योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाली सड़क को निर्माण होने के पश्चात 5 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित कन्टेक्टर की होगी यह शर्त टैन्डर में स्पष्ट अंकित की जायेगी । परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफॉमेन्स गारन्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी, का पालन ठेकेदार/फर्म को प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।
- 10- ठेकेदार को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व और कार्य पूर्ण होने के उपरान्त के फोटो प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे ।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत आगणन राशि	स्वीकृत दर	स्वीकृत राशि	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6
01	नगरपालिका परिषद, लोनी के अम्बेडकर पार्क विकासनगर का सौन्दर्यकरण का कार्य ।	श्री.पी.आर./प.स.ओ.आर. के अनुसार 48,80,000-00 ओ. एण्ड एम.के अनुसार 04,75,000-00	0.50% कम दर पर	48,55,000-00 04,73,000-00	06 माह

प्रतिलिपि:-

- 1- अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0-2, गाजियाबाद, को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 2- अवर अभियन्ता (अवर अभियन्ता) /लोक निर्माण लिपिक, न0 पा0 प0 लोनी को इस निर्देश के साथ, कि कार्य की गुणवत्ता, मानक के अनुरूप एवं बोर्ड की बैठक दिनांक: 26-09-2016 में दिये गये निर्देशानुसार निर्माण कार्य को अपनी देख-रेख में कराना सुनिश्चित करें, तथा प्रगति की रिपोर्ट प्रति सप्ताह अथोहस्ताक्षरी को अवगत कराने के साथ -2 ठेकेदार को आवश्यकतानुसार अपने स्तर से भी नोटिस आदि जारी करने की कार्यवाही करे, क्र0सं0 10 का विशेष ध्यान रखा जाये, निर्माण कार्य की साईड के फोटो के बिना बिल प्रस्तुत नहीं किया जाये ।

अवर अभियन्ता
नगरपालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद

प्रस्ताव:- नगरपालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

क्रमांक: 1785 न0पा0प0/अमृत योजना/रा0वि0आ0-निकाय कोष(03)/कार्यदेश/2017-2018 दिनांक: 015-01-2018

0 विशाल बिल्डर्स
ता - ग्राम व डा0 -मण्डोला
गाजियाबाद

विषय:- निर्माण कार्य प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में ।

उपरोक्त संदर्भ में आपको अवगत कराया जाता है कि निम्न निर्माण कार्य के लिये पूर्व में डाली गई निविदायें न्युनतम होने के कारण निदेशक/राज्य मिशन निदेशक (अमृत) नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0, 8 वें तल, इन्दिरा भवन लखनऊ द्वारा निम्न प्रकार से आपके पक्ष में स्वीकृत की गई है, आप तत्काल विशेष जमानत राशि की एफ0डी0आर0 एवं निर्धारित राशि के स्टाम्प पेपर पर इकरारनामा प्रस्तुत करें, आपको निम्न निर्माण कार्य निम्न प्रतिबन्धों/शर्तों पर प्रारम्भ करने की अनुमति प्रदान की जाती है:-----

- निर्माण कार्य अनुमानित व्यय के साथ साईड प्लान के अनुसार किया जायेगा ।
- निर्माण कार्य की गुणवत्ता मानक के अनुसार होगी, यदि गुणवत्ता में किसी भी प्रकार की कमी पाई जाती है, तो ठेकेदार से कमी के आंगणन की वसूली के साथ-2 सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही भी की जायेगी ।
- निर्माण कार्य निर्धारित अवधि में पूर्ण करना होगा ।
- निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व अवर अभियन्ता के माध्यम से निकाय को लिखकर देना होगा ।
- निर्माण कार्य निकाय के अवर अभियन्ता/लोक निर्माण लिपिक/सहायक अभियन्ता लो0नि0वि0-2, गाजियाबाद, की देख-रेख में होगा ।
- कृपया आप यह भी सुनिश्चित करें, कि निकट भविष्य में परियोजना प्रबन्धक, यमुना प्रदूषण नियंत्रण ईकाई (प्रथम) उ0 प्र0 जलनिगम, आर-1 नया रेलवे स्टेशन गाजियाबाद, के सामने द्वारा यू आई डी एस एम टी के अन्तर्गत सीवर/पेयजल की पाइप लाइन का डाला जाना प्रस्तावित तो नहीं है, ताकि निर्माण कार्य का कम से कम एक वर्ष तक निर्माण सुरक्षित रह सके । यदि निर्माण कार्य के पश्चात सीवर/पेयजल की लाइन से निर्माण क्षतिग्रस्त होती है, तो पूर्णतया जिम्मेदारी आपकी होगी । इस सम्बन्ध में सम्बन्धित विभाग से लिखित में सूचना प्राप्त कर लें ।
- निर्माण कार्य का बोर्ड निर्माण स्थल पर लगाना अति आवश्यक होगा, जिसमें उसका सभी पूर्ण ब्यौरा अंकित होगा ।
- प्रशानगत योजनान्तर्गत पूर्व में एवं भविष्य में सचिव, उ0प्र0शासन, नगर विकास विभाग, लखनऊ/निदेशक/राज्य मिशन निदेशक (अमृत) नगरीय निकाय, निदेशालय, उ0प्र0, 8 वें तल, इन्दिरा भवन लखनऊ द्वारा समय-2 पर निर्गत निर्देशों का पालन करना होगा
- प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ के पत्र सं0 24 वीआईपी(1)/नौ-5-2017-120 बजट/2013 दिनांक: 24-08-2107 के निर्देशानुसार -(2) योजनान्तर्गत निर्मित किये जाने वाली सड़क को निर्माण होने के पश्चात 5 वर्ष तक अनुरक्षण/रख-रखाव की जिम्मेदारी सम्बन्धित कन्टेक्टर की होगी यह शर्त टैन्डर में स्पष्ट अंकित की जायेगी । परियोजना लागत की 5 प्रतिशत धनराशि परफॉर्मेन्स गारन्टी के रूप में 5 वर्ष रोकने के उपरान्त सड़क के समुचित रख-रखाव होने की दशा में भुगतान की जायेगी, का पालन ठेकेदार/फर्म को प्रत्येक दशा में अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा ।

0- ठेकेदार को निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व और कार्य पूर्ण होने के उपरान्त के फोटो प्रस्तुत करने अनिवार्य होंगे ।

क्र0 सं0	कार्य का नाम	स्वीकृत आगणन राशि	स्वीकृत दर	स्वीकृत राशि	कार्य की अवधि
1	2	3	4	5	6
02	नगरपालिका परिषद, लोनी के इन्द्रापुरी कालोनी के बी0 ब्लाक के पार्क का सौन्दर्यकरण का कार्य ।	डी.पी.आर./ए.स.ओ.आर. के अनुसार 69,46,000-00 ओ. एण्ड एम.के अनुसार 06,63,900-00	0.25% कम दर पर	69,28,000-00 06,62,200-00	06 माह

प्रतिलिपि:-

- 1- अधिशासी अभियन्ता/सहायक अभियन्ता, लो0नि0वि0-2, गाजियाबाद, को आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
- 2- अवर अभियन्ता (सि.पी.ओ. आगणन) /लोक निर्माण लिपिक, न0 पा0 लोनी को इस निर्देश के साथ, कि कार्य की गुणवत्ता, मानक के अनुरूप एवं बोर्ड की बैठक दिनांक: 26-09-2016 में दिये गये निर्देशानुसार निर्माण कार्य को अपनी देख-रेख में कराना सुनिश्चित करें, तथा प्रगति की रिपोर्ट प्रति सप्ताह अधोहस्ताक्षरी को अवगत कराने के साथ -2 ठेकेदार को आवश्यकतानुसार अपने स्तर से भी नोटिस आदि जारी करने की कार्यवाही करें, क्र0सं0 10 का विशेष ध्यान रखा जाये, निर्माण कार्य की साईड के फोटो के बिना बिल प्रस्तुत नहीं किया जाये ।

अवर अभियन्ता
नगरपालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद

(डॉ०) निरेन्द्रकुमार राय
अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद

कार्यालय- नगरपालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

:: ई-निविदा सूचना ::

नगरपालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद) अमृत योजना के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2016-17 में स्वीकृत राशि/निकाय कोष से निम्नलिखित पार्को के विकास एवं रख-रखाव के कार्यों हेतु निकाय में पंजीकृत टेकेदारों से दिनांक: 17-10-2017 तक ई-निविदायें आमंत्रित की जाती है, निविदा प्रपत्र वेबसाईट etender.up.nic.in एवं npploni.in पर निर्धारित प्रपत्र मूल्य ऑनलाईन (S.B.I.LONI-IFS Code: SBIN0002408 A/C.N0. 10280366094) भुगतान कर दिनांक: 26-09-2017 से दिनांक: 16-10-2017 तक डाऊनलोड किये जा सकते है, निविदाओं को दिनांक: 17-10-2017 को अपराह्न: 3.00 बजे तक अपलोड किया जा सकता है। तकनीकी निविदाओं को दिनांक: 17-10-2017 को सांय: 4.00 बजे अधिशासी अधिकारी, नगरपालिका परिषद, लोनी के कार्यालय में टेकेदारों की उपस्थिति में खोली जायेगी। तकनीकी निविदा में सफल निविदादाताओं की फाइनेन्शियल बिड दिनांक: 18-10-2017 को दोपहर 12-00 बजे को खोली जायेगी। धरोहर राशि ऑनलाईन (S.B.I.LONI -IFS Code: SBIN0002408 A/C.N0. 10280366094) में जमा कराई जायेगी, अमृत योजनान्तर्गत दिये गये निर्देशों अनुरूप निविदा प्रक्रिया में 04 अलग-अलग सीलबन्द लिफाफों का प्रयोग किया जायेगा। जिसमें से लिफाफा "ए" का प्रयोग धरोहर धनराशि के लिए (ऑन लाइन जमा की बैंक पर्ची) लिफाफा "बी" का प्रयोग तकनीकी निविदा के लिये लिफाफा "सी" का प्रयोग वित्तीय निविदा के लिये होगा एवं लिफाफा ए.बी.सी. एक बड़े लिफाफे "डी" में रखकर निविदा प्रस्तुत किये जाने के समक्ष सीलबन्द लिफाफा करके निविदा बाक्स में डाला जायेगा। तकनीकी निविदा के परीक्षणोपरान्त कुल 200 अंको से न्यूनतम 120 अंक प्राप्त करने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी। किन्ही कारणवश उक्त तिथि में अवकाश होने पर अगला कार्यदिवस माना जायेगा। निविदा सम्बन्धी नियम व शर्तें निकाय कार्यालय में कार्य अवधि में अथवा निकाय की वेबसाईट पर देखी जा सकती है। किसी भी निविदा को बिना कारण बताये स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी नगरपालिका परिषद, लोनी में निहित होगा। कार्यों का विवरण निम्न प्रकार है:---

क्र0 सं0	कार्य का नाम	अनुमानित लागत (रु0 लाख में)			2% धरोहर धनराशि (रु0 लाख में)	निविदा मूल्य+ GST	कार्य पूर्ण करने का समय	टेकेदार की श्रेणी
		प्रोजेक्ट	ओ.एण्ड एम.	योग				
1	वार्ड नम्बर-01, अम्बेडकर पार्क मौहल्ला विकास नगर के पार्क का सौन्दर्यकरण।	48.80	4.75	53.55	1.071	5000.00	3 माह	ए- श्रेणी
2	वार्ड नम्बर-1G, बी ब्लॉक, इन्द्रापुरी के पार्क का सौन्दर्यकरण।	69.46	6.64	76.10	1.522	7000.00	3 माह	ए- श्रेणी
3	नगरपालिका परिषद, लोनी के लालबाग कालोनी के बी0 ब्लॉक के पार्क का सौन्दर्यकरण का कार्य।	27.27	2.99	30.26	0.605	3000.00	3 माह	ए- श्रेणी

नियम व शर्तें-

A- फाइनेन्सियल/कामर्शियल बिड

1- निविदा डालते समय उपरोक्त अंकित 2 प्रतिशत धरोहर ऑनलाईन (S.B.I.LONI-IFS Code: SBIN0002408 A/C.N0. 10280366094) में जमा कराई जानी अनिवार्य होगी। साथ ही शासन द्वारा निविदा स्वीकृत किये जाने के उपरान्त एक सप्ताह के अन्दर 8 प्रतिशत जमानत धनराशि जमा करने एवं निर्धारित स्टाम्प पेपर पर अनुबंध किये जाने के बाद ही कार्यदिश निर्गत किया जायेगा।

2- निविदा केवल प्रतिशत दर पर ही मान्य होगी तथा बिना कारण बताये निविदा निरस्त करने का अधिकार शासन में निहित होगा। राशर्तें निविदाएँ किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।

अमृत अभियन्ता
नगरपालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद
AMRUT YOJANA

- 110 -

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, लोनी

- 3- निविदा के साथ जिलाधिकारी, गाजियाबाद द्वारा निर्गत हैसियत प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र (निर्धारित समयावधि का हो) एवं किसी सरकारी विभाग में पंजीकृत होने का प्रमाण पत्र साथ साथ व्यापार कर, आयकर प्रमाण पत्र, एवं श्रम विभाग में पंजीयन का प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा।
- 4- निविदादाता को इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा, कि वह शासकीय/अशासकीय अथवा अन्य किसी संस्था से निविदा कार्य हेतु काली सूचीबद्ध नहीं किया गया है।

B-टेक्निकल बिड-

- 1- निविदादाता को उक्त कार्यों से सम्बन्धित अन्य विभागों में कराये गये कार्यों का अनुबन्ध प्रमाण पत्र व कायदेश की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 2- निविदादाता को उपरोक्त परियोजना से सम्बन्धित अंकन 25.00 लाख तक कार्य विगत तीन वर्षों में कराये जाने से सम्बन्धित प्रमाण पत्र निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
- 3- निविदादाता को गत वर्षों की बैलेन्स सीट जो चार्टर्ड एकाउण्टेड/बैंक द्वारा निर्गत की गयी हो, संलग्न करना होगा।
- 4- ISO-9001-2000 का प्रमाण पत्र रखने वाली फर्मों/कम्पनी को वरीयता दी जायेगी।
- 5- निविदादाता को 3-5 वर्षों का इनकम-टैक्स रिटर्न की प्रमाणित प्रति निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- 6- निविदादाता को अपनी फर्म में कार्य करने वाले सामान्य एवं तकनीकी स्टाफ का विवरण शैक्षिक योग्यता सहित तथा तकनीकी उपकरणों से सम्बन्धित अभिलेख की प्रमाणित छायाप्रतियाँ निविदा के साथ संलग्न करना होगा।
- 7- निविदादाता को उन विभागों की प्रमाणित सूची प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उसने निविदा के आधार पर पार्क निर्माण/रख-रखाव सम्बन्धी कार्य किया हो।

C-सामान्य शर्तें-

- 1- अनुरक्षण अवधि 5 वर्षों की होगी, जमानत राशि 5 वर्ष पश्चात ही वापिस की जायेगी, जिसमें यदि ठेकेदार/फर्म कार्य में अन्य कमियों को तीन दिवस के अन्दर ठीक नहीं करता है, तो उस पर अर्थदण्ड के रूप में कटौती को ओ. एण्ड एम. की लागत से काट ली जायेगी।
- 2- कार्य प्रत्येक दशा में निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण करना होगा, समय से कार्य पूर्ण न होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
- 3- पार्क के सौर्न्यकरण के पश्चात आगामी 5 वर्षों तक पार्क के रख-रखाव का दायित्व भी सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म द्वारा किया जाना होगा, जिसके अनुरक्षण का भुगतान पूर्णतः सन्तोषजनक पाये जाने पर नियमानुसार किया जायेगा। कमी पाये जाने पर अधिशासी अधिकारी को यह अधिकार होगा कि उस फर्म की जमानत धनराशि जप्त कर ली जाये।
- 4- कार्यादेश जारी होने पर भारत सरकार द्वारा जारी किये गये अमृत योजनान्तर्गत दिये गये विशिष्टियों एवं मानक के अनुसार ही ठेकेदार/फर्म को कार्य पूर्ण करना होगा।
- 5- ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा के आधार पर कराये गये निर्माण में यदि किसी प्रकार की कमी जांच के समय पायी जाती है, ठेकेदार/फर्म स्वयं उत्तरदायी होंगे, एवं भुगतान किया जाना सम्भव नहीं होगा।

(प्रो. अमरपाल)
अध्यक्ष अभियन्ता
नगर पालिका परिषद, लोनी
(गाजियाबाद)

(डा० धीरेंद्र कुमार राय)
अधिशासी अधिकारी/प्रशासक
नगर पालिका परिषद, लोनी
(गाजियाबाद)

कार्यालय:- नगरपालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

पत्रांक: 1525/न०पा०प०/अमृत/रा०वि०आ०-नि०को०/2017-18 दिनांक: 25-09-2017

प्रतिलिपि:- उपरोक्त संदर्भ में निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1- जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद
2- अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व)/प्रशासन, गाजियाबाद
3- उप जिलाधिकारी, लोनी।

AMRUT YOJANA अभियन्ता
नगरपालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद

- 111 -

अधिशासी अधिकारी
नगरपालिका परिषद, लोनी
गाजियाबाद

1. Nav Yug Children park in ward no – 12, (2015-16 Park developed by ULB)



2. A- Block, Balram Nagar ward no – 38 (2016-17 Park developed by ULB)



3. Indra Enclave ward no – 37 (2017-18 Park developed by ULB)



 <div data-bbox="186 588 630 745"> <p>Decimal DMS</p> <p>Latitude 28.751822 28°45'6" N</p> <p>Longitude 77.279952 77°16'47" E</p> <p>2019-01-03(Thu) 13:28</p> <p>19°C 66°F</p> </div>	 <div data-bbox="644 588 1084 745"> <p>Decimal DMS</p> <p>Latitude 28.731619 28°43'10" N</p> <p>Longitude 77.286465 77°17'11" E</p> <p>2019-01-03(Thu) 13:00</p> <p>19°C 66°F</p> </div>	 <div data-bbox="1099 588 1588 745"> <p>Decimal DMS</p> <p>Latitude 28.738149 28°44'17" N</p> <p>Longitude 77.282859 77°16'57" E</p> <p>2019-01-03(Thu) 12:38</p> <p>19°C 66°F</p> </div>
<p>Image Amberkar Park - (2017-18 Park under Amrut)</p>	<p>Image Inderapuri Park - (2018-19 Park under Amrut)</p>	<p>Image Lalbagh Park - (2019-20 Park under Amrut)</p>

